न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 25 / 2023

1 सुनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धत्तरवालों का बास हाल निवासी मां भारती स्कूल सुरजगढ़ रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नयन कमल पुत्र राहुल देव जाति कुम्हार निवासी डालमिया की ढ़ाणी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति खाती निवासी स्टेशन ऑरियन्टल बैंक के पास कस्बा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुंझुनू मुकदमा
उनवानी नयन कमल बनाम दिनेश कुमार आदि मुकदमा
नम्बर 115 / 2022 दावा बाबत घोषणात्मक विभाजन
रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय व
प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.01.2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 115/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा की भूमि खसरा नम्बर 172 के सन्दर्भ में विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर विधिक प्रकिया अनुसार उभयपक्ष को सुनकर पुन निर्णय करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने पर सहमती प्रदान की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर विधिक प्रकिया अनुसार उभयपक्ष को सुनकर पुन निर्णय करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने पर सहमती प्रदान की है। इसे दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को विधिक प्रकिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर